राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 06/2019 प्रार्थना पत्र

1. उगमा पुत्र नन्दा चमार निवासी आगूंचा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा

– प्रार्थी

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा.दी. वास्ते बहाल किये जाने पूर्व प्रविष्टियां

उपस्थित –

1. श्री मांगी लाल सेन अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 27.2.2020

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम आंगूचा स्थित आराजियात खसरा नम्बर 4929 रकबा 122–10–0 बीघा में से 5 बीघा भूमि का आवंटन प्रार्थी को दिनांक 03.11.1977 को किया गया। उक्त आवंटन के आदेश के विरूद्व तहसीलदार हुरडा द्वारा इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 14.06.2002 को स्वीकार कर आवंटन निरस्त कर दिया गया। पारित आदेश दिनांक 14.06.2002 की पालना में तहसीलदार हुरडा द्वारा वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 6516/4929 रकबा 4–18–0 बीघा तथा खसरा नम्बर 6516/4929 रकबा 0–2–0 बीघा किस्म गे.मु. चाह को सिवायचक दर्ज कर दिया। प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.06.2002 के विरूद्व अपील संख्या 250/2002 भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 19.09.2003 को निरस्त कर दी गयी। प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश दिनांक 19.09.2003 के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष अपील एल.आर. एक्ट संख्या 6024/2003 प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 05.10.2012 को स्वीकार की जाकर पूर्व पारित आदेश दिनांक 14.06.2002 एवं 19.09.2003 को निरस्त कर दिये गये एवं आवंटन आदेश दिनांक 03.11.1977 बहाल कर दिये गये। जिससे सिवायचक दर्ज की गयी प्रविष्टि को तर्क /निरस्त किया जाकर आवंटन आदेश की पालना में प्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी की प्रविष्टियां अधिकार अभिलेख में पूर्ववत बहाल रखते हुए दर्ज किया जाना न्यायोचित हैं। निवेदन हैं कि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2012 अपील एल.आर.एक्ट संख्या 6024/2003 की पालना में सिवायचक दर्ज प्रविष्टि को रिकार्ड से तर्क किया जाकर पूर्व की भांति प्रार्थी के नाम वादग्रस्त आराजियात अधिकार अभिलेख/जमाबन्दी में खातेदारी हक से दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15.03.2019 को पंजीबद्व किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए एवं लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आंगूचा स्थित आराजियात खसरा नम्बर 4929 रकबा 122–10–0 बीघा में से 5 बीघा भूमि का आवंटन प्रार्थी को दिनांक 03.11.1977 को किया गया। उक्त आवंटन के आदेश के विरूद्व तहसीलदार हुरडा द्वारा इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 14.06.2002 को स्वीकार कर आवंटन निरस्त कर दिया गया। पारित आदेश दिनांक 14.06.2002 की पालना में तहसीलदार हुरडा द्वारा वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 6516/4929 रकबा 4–18–0 बीघा तथा खसरा नम्बर 6516/4929 रकबा 0–2–0 बीघा किस्म गे.मु. चाह को सिवायचक दर्ज कर दिया। प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.06.2002 के विरूद्व अपील संख्या 250/2002 भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 19.09.2003 को निरस्त कर दी गयी। प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश दिनांक 19.09.2003 के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष अपील एल.आर. एक्ट संख्या 6024/2003 प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 05.10.2012 को स्वीकार की जाकर पूर्व पारित आदेश दिनांक 14.06.2002 एवं 19.09.2003 को निरस्त कर दिये गये एवं आवंटन आदेश दिनांक 03.11.1977 बहाल कर दिये गये। जिससे सिवायचक दर्ज की गयी प्रविष्टि को तर्क /निरस्त किया जाकर आवंटन आदेश की पालना में प्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी की प्रविष्टियां अधिकार अभिलेख में पूर्ववत बहाल रखते हुए दर्ज किया जाना न्यायोचित हैं।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार हुरडा का जो सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ उसमें यह अंकित किया कि राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 05.10.2012 के विरूद्व अपील कर दी गयी, जबकि अपील के विचाराधीन होने बाबत् कोई ऑर्डरशीट व अपील मेमों की प्रति प्रस्तुत नही हुयी है। इसके अतिरिक्त राजस्व मण्डल अजमेर के विरूद्व अपील का कोई प्रावधान कानून में नहीं हैं। यदि कोई अपील या राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट पीटीशन प्रस्तुत हुयी है तो उसकी प्रति इस प्रकरण में प्रस्तुत नहीं हुयी है एवं न ही तहसीलदार हुरडा का शपथ पत्र पेश हैं। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि उपरी अदालत में उक्त भूमि के बाबत् कोई अपील या रिट विचाराधीन हैं। निवेदन हैं कि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2012 अपील एल.आर.एक्ट संख्या 6024/2003 की पालना में सिवायचक दर्ज प्रविष्टि को रिकार्ड से तर्क किया जाकर पूर्व की भांति प्रार्थी के नाम वादग्रस्त आराजियात अधिकार अभिलेख/जमाबन्दी में खातेदारी हक से दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि तहसीलदार भीलवाडा द्वारा प्रकरण में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विशिष्ट अपील संख्या 1561/2019 दायर कर दी गयी। जिसमें आगामी पेशी दिनांक 20.03.2020 नियत है। अतः प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में जैरकार होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

किया जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि तहसीलदार भीलवाडा द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2012 अन्तर्गत अपील एल आर एक्ट संख्या 6024/2003 के विरूद्व राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विशिष्ट अपील संख्या 1561/2019 दायर कर दी गयी। जिसमें आगामी पेशी दिनांक 20.03.2020 नियत है। प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में जैरकार होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2012 अन्तर्गत अपील एल आर एक्ट संख्या 6024/2003 के विरूद्व तहसीलदार हुरडा द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विशिष्ट अपील संख्या 1561/2019 दायर किये जाने से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा.दी. अस्वीकार किया जाता हैं। उक्त विशिष्ट अपील संख्या 1561/2019 में पारित निर्णय की उभयपक्ष को पालना करनी होगी। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुरडा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27-2-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2020.02.27 17:41:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: